

भारत सरकार
केंद्रीय जल आयोग
स्थापना-एक अनुभाग

तृतीय तल (द०), सेवा भवन
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066
दिनांक: 04/11/2020

सेवा में,

वेतन एवं लेखा अधिकारी,
केंद्रीय जल आयोग,
सेवा भवन, आर० के० पुरम,
नई दिल्ली।

विषय :- बाल शिक्षा भत्ते (CEA) स्वीकृति हेतु।

महोदय,

भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या: ए-27012/02/2017-स्था०(भत्ता), दिनांक 16.08.2017 के अनुसार श्री राबेश कुमार ने नीचे दिये गए विवरण के अनुसार शिक्षा सत्र 2019-20 में अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक संतान शिक्षण भत्ता के भुगतान के लिए मंजूरी प्रदान की जाती है।

क्र सं	बच्चे का नाम व जन्म तिथि	कक्षा व स्कूल का नाम	संतान शिक्षण भत्ता दावे की अवधि	संतान शिक्षण भत्ता की प्रतिपूर्ति	कुल देय राशि
a)	श्री राबेश कुमार, निदेशक				
1	उत्कर्ष सिन्हा 29.03.2003	कक्षा X B.S.F. Ser. Sec. School, Shillong, Meghalaya	04/2019 से 03/2020 तक	रु.2250/- प्रति माह	रु.27,000/-
कुल रुपये = Rs. 27,000/- (रुपये सत्ताईस हजार मात्र)					रु- 27,000/-

1. प्रमाणित किया जाता है कि उक्तवर्णित शिक्षणवर्ष के दावे का भुगतान इसके पूर्व नहीं किया गया है।
2. उपयुक्त वर्णित विधालय संबन्धित शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त है।
3. किये गये दावे का सत्यापन प्रमाणपत्रों से कर ली गई है।
4. उपरोक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंतर्गत, लेखा शीर्ष: 2701, 80-006-11-Consultancy(NP) 01-00-01- वेतन में समायोजित होगी।

भवदीय,

(संजय सिंह चौहान)
(संजय सिंह चौहान)
अवर सचिव, स्थापना-एक

प्रतिलिपि:-

1. अनुभाग अधिकारी, लेखा-3, अनुभाग, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को आवश्यक रशीदे/ प्रमाणपत्रों के साथ - (दो प्रतियाँ)
2. संबंधित अधिकारी।
3. कार्यालय आदेश फॉल्डर।